

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर

(वित्त एवं लेखा अनुभाग)

क्रमांक: जनावि / वि.ले. / 2020 / ७०६

दिनांक: २५/९/२०२०

कार्यालय आदेश

राजस्थान सरकार वित्त विभाग (आय-व्ययक अनुभाग) द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.९(१)/वित्त-१/आ.व्य./२०२० जयपुर दिनांक ०३.०९.२०२० के अनुसार राजकीय व्यय में मितव्यता बरतने हेतु उक्त परिपत्र में दिए गये दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना की जावे।

संलग्नः— परिपत्र

सहायक कुलसचिव

क्रमांक: जनावि / वि.ले. / २०२० / ७०६

दिनांक: २५/९/२०२०

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु प्रेषित हैः—

०१. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक/आहरण एवं वितरण अधिकारी, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
०२. समस्त सहायक कुलसचिव/संकाय/संस्थान, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
०३. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
०४. निजी सहायक, कुलसचिव/वित्त-नियंत्रक, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।

रामानुज

सहायक कुलसचिव

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक:प.७(१)वित्त-१(१)आ.व्य./2020

जयपुर, दिनांक : ०३ सितम्बर, 2020

परिपत्र

विषय :- राजकीय व्यय में मितव्ययता।

कोविड-19 महामारी की चुनौती से लड़ने हेतु चिकित्सा सुविधाओं के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना तैयार किये जाने तथा महामारी से प्रभावित वर्ग को सहायता उपलब्ध कराने हेतु, जहाँ एक ओर, अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की महती आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर, देशव्यापी लॉकडाउन के कारण औद्योगिक, व्यापारिक, वाणिज्यिक गतिविधियां एवं सेवा क्षेत्र के महत्त्वपूर्ण घटकों के कार्यकलापों में अत्यधिक शिथिलता आने से राज्य की राजस्व प्राप्तियों में कमी हुई है।

उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत राज्य के सीमित संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाना आवश्यक है। यह तभी संभव है कि जब राज्य के सभी कार्यकलापों में कुशल प्रबंधन अपनाते हुए मितव्ययता बरती जाये।

कोविड-19 महामारी के कारण राज्य के वित्तीय संसाधनों पर पड़ने वाले असाधारण प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राजकीय व्यय के विनियमन हेतु पूर्व में जारी किए गए मितव्ययता परिपत्रों की निरन्तरता में निम्नलिखित दिशा-निर्देश तुरन्त प्रभाव से जारी किये जाते हैं :—

1. संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर व्यय को सीमित किया जाना —

- (i) वर्ष 2020-21 के विभिन्न बजट मदों यथा—कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय, कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय, मुद्रण एवं लेखन, प्रकाशन, पुस्तकालय एवं पत्र-पत्रिकाओं पर व्यय हेतु बजट में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष विभागों द्वारा इस वित्तीय वर्ष में व्यय को 70 प्रतिशत तक सीमित किया जायेगा तथा इन मदों में किसी भी स्थिति में पुनर्विनियोजन द्वारा धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जायेगी।
- (ii) वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में POL मद में स्वीकृत प्रावधान के विरुद्ध व्यय को 90 प्रतिशत तक सीमित किया जायेगा।
- (iii) राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों को देय उपार्जित अवकाश के एवज में नकद भुगतान की नई स्वीकृतियां इस वित्तीय वर्ष में जारी किया जाना स्थगित रखा जायेगा।

(iv) समस्त राजकीय कार्यक्रम, भूमि पूजन तथा उद्घाटन समारोह आदि सादगी एवं सम्पूर्ण मितव्यता बरतते हुए, जहां तक संभव हो, वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित किये जायेंगे।

(v) राजकीय भोज के आयोजन पर आगामी आदेशों तक प्रतिबंध रहेगा।

(vi) उपहार क्रय तथा सत्कार/आतिथ्य व्यय पर आगामी आदेशों तक प्रतिबंध रहेगा।

2. राजकीय यात्रा –

(i) शासकीय कार्यों के लिए की जाने वाली यात्राओं को आवश्यक एवं अपरिहार्य कार्यों की पूर्ति हेतु न्यूनतम रखा जावे तथा यथासंभव विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठकें आयोजित की जावे।

(ii) जो अधिकारी हवाई यात्रा के लिए अधिकृत हैं, इकानौमी क्लास में ही यात्रा करेंगे। वर्तमान वित्तीय वर्ष में एकजीक्यूटिव/ बिजनेस क्लास में यात्रा पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी।

(iii) विमान किराये पर लेने पर प्रतिबंध रहेगा। विशेष परिस्थितियों में विमान किराये पर लेने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति आवश्यक होगी।

(iv) राजकीय व्यय पर विदेश यात्रा पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

3. क्रय पर प्रतिबन्ध –

(i) कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने, संक्रमितों के उपचार तथा महामारी से पीड़ितों की सहायता हेतु आवश्यक सामग्री/उपकरणों के क्रय को छोड़कर अन्य समस्त प्रकार की मशीनरी और साज सामान/औजार एवं संयंत्र तथा New Items के क्रय पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। योजनान्तर्गत प्रावधित केवल Functional Equipments, जो कि योजना के संचालन हेतु आवश्यक हैं, का क्रय किया जा सकेगा।

(ii) वाहनों के क्रय पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।

4. योजनाओं पर व्यय –

(i) जिन कार्यों/योजनाओं हेतु भारत सरकार से राशि प्राप्त हो चुकी है उन योजनाओं/निर्माण/गतिविधियों में राज्य निधि की धनराशि आवश्यतानुसार चरणों में उपलब्ध कराई जायेगी।

(ii) वर्तमान विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत सभी विभागों द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की समीक्षा की जाकर राज्य निधि से वित्त पोषित उन्हीं योजनाओं को इस वित्तीय वर्ष में क्रियान्वित किया जाये, जो अपरिहार्य प्रतीत होती है। इस हेतु विभाग अपने स्तर पर समीक्षा कर प्रभारी मंत्री महोदय के अनुमोदन उपरान्त प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित करेंगे।



- (iii) ऐसी योजनाएं, जो अपरिहार्य या अत्यावश्यक न हों, उनका क्रियान्वयन चालू वित्तीय वर्ष में स्थगित रखा जावे।

यह प्रतिबन्ध चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, पोषण, मिड-डे-मील, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, आपदा राहत, ऊर्जा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा पुलिस से संबंधित योजनाओं पर लागू नहीं होगा।

5. स्वीकृत पदों की समीक्षा एवं रिक्त पदों पर भर्ती –

- (i) वित्तीय वर्ष 2020–21 में 100 प्रतिशत राज्य निधि से वित्त पोषित कोई भी नया कार्यालय खोले जाने की स्वीकृति नहीं दी जायेगी तथा पूर्व में स्वीकृत कार्यालय जो आरम्भ नहीं हुये हैं उन्हें भी इस वित्तीय वर्ष में स्थापित नहीं किया जायेगा।
- (ii) विभागीय कार्य प्रणाली में परिवर्तन, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग आदि कारणों से अनेक पद वर्तमान में अप्रासांगिक हो गये हैं उन्हें विभागों द्वारा चिह्नित कर आवश्यक कार्यवाही की जावे।

6. प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशाला, उत्सव और प्रदर्शनियां –


- (i) वित्तीय वर्ष 2020–21 में समस्त प्रकार के प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशाला, उत्सव और प्रदर्शनियों का आयोजन, जहां तक संभव हो, ऑनलाईन किया जावेगा।
- (ii) अपरिहार्य/अति आवश्यक परिस्थितियों में सम्मेलन/सेमिनार/कार्यशालाएं/प्रशिक्षण/प्रदर्शनियां आदि का आयोजन राजकीय संस्थाओं/शासकीय भवनों/राजकीय परिसर में ही किया जाये।
- (iii) प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय, उत्सव और प्रदर्शनियां व्यय मदों में बजट में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष विभागों द्वारा व्यय में कम से कम 50 प्रतिशत की कमी की जाये।

7. परिपत्र की प्रभावशीलता एवं क्षेत्राधिकार –

- (i) व्यय नियंत्रण हेतु उपर्युक्त दिशा-निर्देशों की कठोरता से अनुपालना के लिए संबंधित प्रशासनिक विभाग के प्रभारी सचिव, विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे।
- (ii) उपर्युक्त दिशा-निर्देश राजकीय उपक्रमों, कम्पनियों, बोर्ड्स, समस्त विश्वविद्यालयों, अनुदानित संस्थाओं, निकायों एवं राज्य सरकार पर वित्तीय दृष्टि से अथवा आंशिक रूप से निर्भर सभी संस्थाओं पर भी लागू होंगे। इन आदेशों की अनुपालना के लिए स्वयत्तशाषी संस्थाओं/राजकीय उपक्रमों, विश्वविद्यालयों आदि के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी/संस्था प्रधान जिम्मेवार होंगे।

राजकीय उपक्रमों, कम्पनियों, बोर्ड्स को उपर्युक्त दिशा-निर्देशों में अपरिहार्य कारणों से शिथिलता आवश्यक होने पर संबंधित संचालक मण्डल द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

- (iii) राज्यपाल सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान उच्च न्यायालय, राज्य निर्वाचन आयोग तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग पर यह परिपत्र प्रभावी नहीं होगा।
8. अति आवश्यक प्रकरणों में विभागों से पूर्ण औचित्य के साथ प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्त विभाग द्वारा उक्त प्रतिबंधों में शिथिलन दिया जा सकेगा।




(निरंजन आयी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
6. राजकीय उपक्रम ब्यूरो (सार्वजनिक उपक्रम विभाग), राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त राजकीय उपक्रम।
8. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, वित्त विभाग।
9. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलकटर सहित)।
10. प्रशासनिक सुधार विभाग (कोडीफिकेशन) को पांच अतिरिक्त प्रतियों सहित।
11. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।



(शरद मेहरा)
निदेशक, वित्त (बजट)

[05/2020]